परिशिष्ट : 5

वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैविक संसाधनों की प्राप्ति का प्रमाण–पत्र

क्रमांक / जैवि प्रकोष्ठ / जिला .... / 2018–19 /   दिनांक

प्रति,

..
..
..
जिला – .... (म.प्र)

विषयः–जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार व्यापारिक उद्‌देश्य से वनवासी / जे.एफ. एम.सी. / जनजाति कृषक / ग्राम सभा व्यापारी से जैव संसाधनों की प्राप्ति बावत्।

संदर्भः–आवेदन पत्र क्र. .... दिनांक .... एवं आपका पंजीयन क्रमांक

MPSBB/BABSC/जिला .... / वर्ष .... / क्रमांक ....

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम में, मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एतद्‌द्वारा अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत व्यवसायिक उपयोग हेतु निम्न जैव संसाधनों को प्राप्त करने की अनुज्ञा प्रदान करता हैः–

क्रमांक	जैव संसाधन का नाम	मात्रा (किलो ग्राम) में	अवधि (महीनों का नाम)	प्रस्तावित संग्रहण की भौगौलिक स्थिति
1	2	3	4	5

कृपया निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करें :–

1. जैव संसाधनों प्राप्ति हेतु अनुज्ञा वर्णित सीमा तक लागू होगी। यदि अनुज्ञा से अधिक मात्रा में जैव संसाधन का वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है तो इस कार्यालय को लिखित सूचना देना अनिवार्य है।
2. आवेदक म.प्र.जै.वि.बो. द्वारा अनुज्ञा प्रदान करने पर जैव संसाधनों के क्रय हेतु प्राधिकृत व्यक्ति (नाम / पता / फोटो) का विवरण जिला जैव विविधता प्रकोष्ठ, को प्रस्तुत करेगा।
3. आवेदक को संग्रहण अवधि की समाप्ति पर अनुबंध (MoU) के परिशिष्ट – 3 प्रपत्र में वर्णित जैव संसाधन की प्राप्ति संग्रहण की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट जैव विविधता प्रकोष्ठ, में प्रस्तुत करनी होगी एवं उसकी एक प्रति संबंधित जैवविविधता प्रबंधन समिति को भी देनी होगी। जैव संसाधनों के वास्तविक उपयोग की मात्रा के आधार पर आवेदक द्वारा भुगतान की गयी लाभ

प्रभाजन की राशि का पुनः आंकलन किया जावेगा एवं अंतर की राशि सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के नाम डिमांड ड्राफ्ट से जमा की जावेगी।

4. यदि जैवविविधता प्रबंध समिति द्वारा संग्रहण शुल्क लिया जाता है तो निर्धारित दर अनुसार संग्रहण शुल्क के भुगतान उपरान्त ही आवदेक को क्षेत्र में जैव संसाधनों तक पहुॅच या संग्रहण की अनुमति होगी। जो कि लाभ प्रभाजन राशि के अतिरिक्त होगी।

5. वर्ष 2019–20 हेतु जैवसंसाधनों के नाम, अनुमानित मात्रा एवं मूल्य का ऑकलन कर 30 दिसंबर 2018 तक जैव विविधता प्रकोष्ठ, में प्रेषित करना अनिवार्य होगा। प्राकलन के आधार पर निर्धारित लाभ प्रभाजन राशि 31 मार्च 2019 के पूर्व देना अनिवार्य होगा। अन्यथा वर्ष 2019–20 हेतु यह अनुबंध स्वतः निरस्त माना जायेगा। इस आशय की सूचना संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध कराई जावेगी।

6. मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004 के नियम 18 एवं 19 के तहत यदि संबंधित व्यापारियों के द्वारा जैव संसाधनों की प्राप्ति से जैवविविधता संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पडने अथवा संवहनीय न होने की स्थिति में अनुबंध को पुनरीक्षित अथवा निरस्त किया जावेगा।

7. यदि उपरोक्त वर्णित जैव संसाधनों में से कोई जैव संसाधन म.प्र. वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण एवं पोषणीय कटाई) नियम 2005 के अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में निषिद्ध की जाती है तो यह अनुमति उस जैव संसाधन के संदर्भ निषिद्ध अवधि के लिए **अमान्य और शून्य (Null & void)** मानी जायेगी।

अनुबंध में वर्णित शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन पर म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड, द्वारा प्रदत्त अनुमति/अनुज्ञा को निरस्त करने के साथ–साथ अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

पदेन सहायक सदस्य सचिव,
म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड
क्षेत्रीय वनमण्डल ....
....

पृष्ठांकन क्रमांक/वनमण्डल/............................./2018–19/ दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल
2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) वनवृत्त .... जिला ....।
3. वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) वन मण्डल .... जिला ....।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र .... जिला ....।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पदेन सहायक सदस्य सचिव,
म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड
क्षेत्रीय वनमण्डल ....